समयबद्ध

संख्या- 3/264 /26-2-2014-100(1)/2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07 फरवरी, 2014

विषय: **वर्ष 2014-15 से "समाजवादी पेंशन योजना" के संचालन के संबंध में।**

महोदय,

समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व देते हुए प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवार, जिनके पास आय के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, के जीवन यापन, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **'समाजवादी पेंशन योजना'** वित्तीय वर्ष **2014-15** में शासन द्वारा निर्धारित तिथि से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराये जाने वाले परिवारों के चयन का कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही समाजवादी पेंशन योजना का संचालन निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर किया जायेगा:-

1. योजना के मुख्य उद्देश्य

1.1 **"समाजवादी पेंशन योजना"** के माध्यम से प्रदेश के चिन्हित गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये जा रहे प्रत्येक परिवार के मुखिया को नियमित रूप से निर्धारित मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, परन्तु लाभान्वित किये जा रहे परिवार के मुखिया को भी **शिक्षा, साक्षरता** एवं **स्वास्थ्य** से संबंधित कतिपय शर्तों को स्वीकार करना होगा, जो निम्नवत् हैं:-

i. लाभान्वित परिवार में 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिका, यदि हों, को अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकित कराना होगा।

ii. लाभान्वित परिवार के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति आवश्यक होगी, जो कुल कार्य दिवसों के 70 प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

iii. पेंशन प्राप्त होने के पश्चात् लाभान्वित परिवार में 15 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक सदस्य, जो साक्षर नहीं हैं, को साक्षर होने के लिए साक्षरता मिशन के कार्यक्रम (यदि उस गॉव/नगर निकाय में संचालित है) में नियमित रूप से सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

iv. लाभान्वित परिवार के 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का नियमित टीकाकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

v. लाभान्वित परिवार के 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को वर्ष में कम-से-कम एक बार स्कूल में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक होगा।

vi. लाभान्वित परिवार में गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव कराना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों का मूल्यांकन लाभार्थी को पेंशन प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।

1.2 बेसिक शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त सेवायें समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत चयनित समस्त परिवारों को अनिवार्यतः सुचारू एवं सुनिश्चित तौर पर उपलब्ध हों।

1.3 लाभान्वित परिवार में यदि कोई व्यक्ति 14 से 35 आयु वर्ग का है व कौशल संवर्द्धन कराने हेतु इच्छुक है, तो **कौशल विकास मिशन** के अंतर्गत उसका चयन कर प्राथमिकता पर कौशल संवर्द्धन कराया जाये ताकि परिवार के आर्थिक उत्थान हेतु स्थायी व्यवस्था हो सके।

1.4 लाभान्वित परिवार का **स्वास्थ्य बीमा कार्ड** भी प्राथमिकता पर बनवाया जाये ताकि उन्हें स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

2. लक्ष्य निर्धारण

2.1 "समाजवादी पेंशन योजना" के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर कुल **40 लाख** परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक चयनित परिवार के मुखिया को योजना के अंतर्गत लाभार्थी चयनित किया जायेगा। प्रदेश की कुल जनसंख्या में निम्नलिखित वर्गों की जनसंख्या एवं उक्त वर्ग में व्याप्त गरीबी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर वर्गवार निम्नवत् संख्या में लाभार्थी सम्मिलित किये जायेंगें:-

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी	30.0 प्रतिशत	12 लाख
(2) अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थी	25.0 प्रतिशत	10 लाख
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थी	45.0 प्रतिशत	18 लाख

सम्पूर्ण प्रदेश की जनसंख्या के सापेक्ष जनपद की जनसंख्या एवं जनपद की प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 40 लाख परिवारों की जनपदवार तथा वर्गवार संख्या निर्धारित की गयी है, जो **संलग्नक-1** पर दी गयी है।

2.2 जनपद स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लक्ष्य का प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर निकाय वार तथा वर्गवार निर्धारण जनसंख्या के अनुसार यथासंभव समानुपातिक ढंग से करेंगे। इस कार्यवाही हेतु जनगणना-2011 के आंकड़ों का यथासंभव उपयोग किया जायेगा और यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो जनगणना-2001 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा। लक्ष्य निर्धारण करते समय इसका ध्यान रखा जाये कि उक्त ग्राम पंचायत/नगर निकाय का उक्त वर्गवार लक्ष्य वहॉ रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये जा रहे लाभार्थियों की संख्या से कम न हो।

3. परिवार की परिभाषा

3.1 समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत **परिवार** की परिभाषा शासनादेश संख्या-3967/उन्तीस-खाद्य-छः, दिनाक 03 जुलाई, 1990 के अनुसार होगी तथा इसमें "स्वयं/स्त्री/ अविवाहित पुत्र, पुत्री/माता/पिता/भाई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहता हो तथा एक ही चूल्हे का बना खाना खाता हो," होंगे।

4. योजना के अंतर्गत देय धनराशि

4.1 "समाजवादी पेंशन योजना" के अंतर्गत चयनित परिवार के मुखिया को **प्रथम वर्ष में रू0 500/- प्रतिमाह** ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा।

4.2 प्रस्तर-1.1 में उल्लिखित प्रथम शर्त यथा- लाभान्वित परिवार में 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिका, यदि हों, को अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकित कराना होगा- का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर प्रथम वर्ष के उपरांत लाभान्वित परिवार के मुखिया की पेंशन निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

4.3 प्रस्तर-1.1 में उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति होते रहने पर एक वर्ष के उपरांत अतिरिक्त रू0 50/- प्रतिमाह देय होगा अर्थात् द्वितीय वर्ष में उक्त लाभान्वित परिवार के मुखिया की पेंशन की राशि बढ़कर रू0 550/- प्रतिमाह हो जायेगी। इसी प्रकार पॉच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष मासिक पेंशन की राशि में 50/- रू0 की वृद्धि होगी। समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवार के मुखिया को देय **अधिकतम धनराशि रू0 750/- प्रतिमाह होगी।**

4.4 लाभान्वित परिवार के मुखिया के खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोले जा सकते हैं, जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन हों और जिन्हें आई0एफ0एस0 कोड प्रदत्त हो, ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खाते में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।

4.5 योजनान्तर्गत अंतिम रूप से जनपद स्तर पर चयनित लाभान्वित परिवार के मुखिया का "जीरो बैलेंस" खाता खुलवाने के कार्य को प्राथमिकता पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में संपादित कराया जायेगा। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी चयनित परिवार केवल इस वजह से वंचित न रह जाये कि उसका समय से बैंक खाता नहीं खुल सका।

5. योजना के अंतर्गत पात्रता से संबंधित

5.1 ग्रामीण क्षेत्र

5.1.1 चयन के समय अथवा वार्षिक सत्यापन के दौरान यदि परिवार का कोई सदस्य निम्नलिखित किसी भी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वह परिवार इस योजना के लिए **अनर्ह** होगा:-

(1) विधवा, विकलांग अथवा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित हो रहा हो।

(2) प्रदेष शासन द्वारा संचालित योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहा हो।

(3) परिवार में 0.5 हेक्टेयर सिंचित अथवा 01 हेक्टेयर असिंचित से ज्यादा भूमि उपलब्ध हो। बुन्देलखण्ड क्षेत्र, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में यह सीमा क्रमशः 1 हेक्टेयर सिंचित एवं 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि होगी।

(4) परिवार में किसी भी प्रकार का मोटराइज्ड वाहन/मशीनीकृत कृषि उपकरण जैसें- जीप, कार, थ्री-व्हीलर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, पावर टीलर, थ्रेशर या हारवेस्टर हो।

(5) कोई सदस्य सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हो।

(6) कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।

(7) कोई भी सदस्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें पेंशन की सुविधा प्राप्त हो रही हो।

5.1.2 योजना के अंतर्गत पात्र पाये गये परिवार के आवेदकों का **वरीयता क्रम निर्धारण** निम्नानुसार किया जायेगा:

(1) जो "रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना" के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हों एवं समाजवादी पेंशन योजना के लिए अनर्ह न हों।

(2) जो भूमिहीन हों।

(3) जो "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अंतर्गत चिन्हित स्वच्छकार हो।

(4) जिसकी मुखिया एकल महिला (विधवा/तलाकशुदा) हो।

(5) जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो तथा विकलांगता कम-से-कम 40 प्रतिशत हो।

(6) अन्य पात्र अभ्यर्थी।

5.2 शहरी क्षेत्र

5.2.1 चयन के समय अथवा वार्षिक सत्यापन के दौरान यदि परिवार का कोई सदस्य निम्नलिखित किसी भी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वह परिवार इस योजना के लिए **अनर्ह** होगा:-

(1) विधवा, विकलांग अथवा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित हो रहा हो।

(2) प्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहा हो।

(3) परिवार के स्वामित्व में 25 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक का पक्का आवास हो।

(4) परिवार में किसी भी प्रकार का मोटराइज्ड वाहन जैसें- जीप, कार, थ्री-व्हीलर, स्कूटर, मोटरसाइकिल हो।

(5) कोई सदस्य सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हो।

(6) कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।

(7) कोई भी सदस्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें पेंशन की सुविधा प्राप्त हो रही हो।

5.2.2 योजना के अंतर्गत पात्र पाये गये परिवार के आवेदकों का **वरीयता क्रम निर्धारण** निम्नानुसार किया जायेगा:

(1) जो "रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना" के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हों एवं समाजवादी पेंशन योजना के लिए अनर्ह न हों।

(2) जो "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अंतर्गत चिन्हित स्वच्छकार हो।

(3) जो दैनिक मजदूरी/खोमचा या फेरी वाला हो।

(4) जिसकी मुखिया एकल महिला (विधवा/तलाकशुदा) हो।

(5) जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो तथा विकलांगता कम-से-कम 40 प्रतिशत हो।

(6) जिनके पास स्वयं का आवास न हो।

(7) अन्य पात्र अभ्यर्थी।

5.3 योजना के अन्तर्गत परिवार की महिला मुखिया को लाभार्थी बनाया जायेगा। महिला मुखिया न होने की दशा मं परिवार के पुरूष मुखिया को लाभार्थी बनाया जायेगा।

6. योजना का प्रचार-प्रसार

6.1 इस योजना का समुचित प्रचार-प्रसार सूचना विभाग के द्वारा कराया जायेगा।

6.2 समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना से संबंधित हैण्ड बिल, पोस्टर, दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन की सामग्री सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी और तदुपरांत सूचना विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश स्तर एवं जनपद स्तर पर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि जन-जन को योजना के बारे में

जानकारी उपलब्ध हो जाये और कोई भी पात्र परिवार योजना की जानकारी न होने के कारण योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने से वंचित न रह जायें।

6.3 प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तर पर सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैंड बिल, पोस्टर आदि का वितरण जिलाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि डुग्गी/मुनादी आदि के माध्यम से भी ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तर पर योजना का समुचित प्रचार-प्रसार हो।

7. गरीब परिवार के मुखिया का चयन

7.1 ग्रामीण क्षेत्र

7.1.1 योजना में शामिल होने के इच्छुक गरीब परिवार के मुखिया से ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें। आवेदन-पत्र परिवार की महिला मुखिया के द्वारा ही भरा जाय। महिला मुखिया न होने की दशा में ही पुरूष मुखिया के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। आवेदन-पत्र निःशुल्क ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव, विकास खण्ड कार्यालय तथा तहसील कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

7.1.2 सभी तरह से पूर्ण आवेदन-पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा हो सकेंगे। ग्राम पंचायत सचिव प्राप्त आवेदन पत्रों की आवेदक को पावती देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं, आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न हैं, आवेदक का फोटो चस्पा है, उसके स्वयं का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों पर बना हुआ है।

7.1.3 निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच व स्थलीय सत्यापन का कार्य ग्राम पंचायत सचिव (अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अन्य अधिकारी) द्वारा 30 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

7.1.4 आवेदन पत्रों की जांच व स्थलीय सत्यापन के उपरान्त ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तीन प्रकार की सूचियाँ तैयार की जायेंगी:-

(क) प्रथम सूची में समस्त आवेदनकर्ताओं के नाम अंकित किये जायेंगे।

(ख) द्वितीय सूची में उन आवेदनकर्ताओं के नाम सम्मिलित किये जायेंगे, जिनको प्रस्तर-5.1.1 में उल्लिखित मानकों के आधार पर पात्रता सूची से बाहर किया गया है।

(ग) तृतीय सूची प्रस्तर-5.1.2 में निर्धारित वरीयता क्रम के आधार पर पात्र लाभार्थियों को क्रमबद्ध करते हुए तैयार की जायेगी।

7.1.5 ग्राम पंचायत के सूचनापट पर द्वितीय सूची तथा तृतीय सूची प्रदर्शित की जायेगी तथा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु 15 दिन का समय दिया जायेगा।

7.1.6 प्राप्त आपत्तियों का पुनः स्थलीय सत्यापन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जायेगा एवं तदोपरान्त रिपोर्ट ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे ग्राम प्रधान द्वारा विधिवत् ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम सभा जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा प्रस्तर-5.1.2 में निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची को खुली बैठक में पारित करेगी। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक पात्र लाभार्थी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं तो वैसी स्थिति में सभी लाभार्थियों का नाम वरीयता क्रम में रखा जायेगा और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही लाभार्थियों की सूची खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अवशेष लाभार्थी की प्रतीक्षा सूची तैयार कर ग्राम पंचायत में रखी जायेगी।

7.1.7 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत इस बात की पुष्टि की जायेगी कि ग्रामसभा की खुली बैठक नियमानुसार आयोजित की गयी थी और उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कोरम के अनुसार थी। ऐसा न होने की दशा में पुनः ग्रामसभा की बैठक आयोजित करायी जायेगी। इसके अलावा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के चयनित लाभार्थियों के कम-से-कम 5 प्रतिशत चयनित अभ्यर्थियों का स्थलीय सत्यापन स्वयं अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से कराने व संतुष्ट होने के बाद ही ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

7.1.8 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संस्तुत/प्रेषित लाभार्थियों की सूची का जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों के माध्यम से कम-से-कम 2 प्रतिशत लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन/जांच कराया जायेगा।

7.2 शहरी क्षेत्र

7.2.1 शहरी क्षेत्र में योजना में शामिल होने के इच्छुक गरीब परिवार के मुखियाओं से वार्ड स्तर पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन-पत्र परिवार की महिला मुखिया के द्वारा ही भरा जाय। महिला मुखिया न होने की दशा में ही पुरूष मुखिया के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र निःशुल्क नगर निकाय स्तर पर पार्षद/सदस्य/नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी अथवा नगर आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत/नामित अधिकारी के पास से प्राप्त किये जा सकते हैं।

7.2.2 सभी तरह से पूर्ण आवेदन-पत्र नगर निकाय कार्यालय में शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा हो सकेंगे। नगर निकाय कार्यालय अथवा नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत/नामित अधिकारी/एजेन्सी प्राप्त आवेदन पत्रों की आवेदक को पावती देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आवेदन पत्र के सभी कालम भरे हुए हैं, आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न हैं, आवेदक का फोटो चस्पा है, उसके स्वयं का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों पर बना हुआ है।

7.2.3 निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच व स्थलीय सत्यापन का कार्य नगर निकाय कर्मी द्वारा 30 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

7.2.4 आवेदन पत्रों की जांच व स्थलीय सत्यापन के उपरान्त नगर निकाय कर्मी द्वारा तीन प्रकार की सूचियाँ तैयार की जायेंगी:-

(क) प्रथम सूची में समस्त आवेदनकर्ताओं के नाम अंकित किये जायेंगे।

(ख) द्वितीय सूची में उन आवेदनकर्ताओं के नाम सम्मिलित किये जायेंगे, जिनको प्रस्तर-5.2.1 में उल्लिखित मानकों के आधार पर पात्रता सूची से बाहर किया गया है।

(ग) तृतीय सूची प्रस्तर-5.2.2 में निर्धारित वरीयता क्रम के आधार पर पात्र लाभार्थियों को क्रमबद्ध करते हुए तैयार की जायेगी।

7.2.5 नगर निकाय के सूचनापट पर द्वितीय सूची तथा तृतीय सूची प्रदर्शित की जायेगी तथा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु 15 दिन का समय दिया जायेगा।

7.2.6 प्राप्त आपत्तियों का पुनः स्थलीय सत्यापन नगर निकाय कर्मी द्वारा किया जायेगा एवं तदोपरान्त रिपोर्ट नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत/नामित अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

7.2.7 उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नगर निकाय में वार्ड कमेटी का गठन किया जा चुका है/जा रहा है। अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा विधिवत् निर्धारित तिथि एवं समय पर वार्ड कमेटी/वार्ड स्तर की खुली बैठक में नगर निकाय कर्मी की रिपोर्ट तथा तैयार की गयी द्वितीय एवं तृतीय सूची को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। वार्ड स्तर पर पात्र लाभार्थियों की सूची निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार तैयार कराकर नगर निकाय कर्मी अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त को प्रेषित करेंगे।

7.2.8 अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा प्रस्तर-5.2.2 में निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार समाजवादी पेंशन योजना के वार्ड वार लाभार्थियों की प्राप्त/संस्तुत सूची को संकलित करेंगे। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक पात्र लाभार्थी नगर निकाय में मौजूद हैं तो वैसी स्थिति में सभी लाभार्थियों का नाम वरीयता क्रम में रखा जायेगा और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही लाभार्थियों की सूची प्रभारी, नगर निकाय जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। अवशेष लाभार्थी की प्रतीक्षा सूची तैयार कर नगर निकाय के स्तर पर रखी जायेगी।

7.2.9 अपर जिलाधिकारी (प्रभारी, नगर निकाय) द्वारा परीक्षणोपरांत इस बात की पुष्टि की जायेगी कि नगर निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लाभार्थियों की सूची प्रेषित की गयी थी। प्रभारी, नगर निकाय द्वारा प्रत्येक नगर निकाय के चयनित लाभार्थियों के कम-से-कम 5 प्रतिशत चयनित अभ्यर्थियों का स्थलीय सत्यापन स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से कराने व संतुष्ट होने के बाद ही नगर निकायों के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची का अनुमोदन किया जायेगा।

7.2.10 शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों का जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों के माध्यम से पुनः कम-से-कम 2 प्रतिशत लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन/जांच कराया जायेगा।

<u>जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन</u>

7.3 जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत/नगर निकाय वार पात्र लाभार्थियों की सूची जनपद स्तरीय समिति के समक्ष अंतिम रूप से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। यदि जनपद स्तर पर किसी ग्राम पंचायत/नगर निकाय में लाभार्थियों के चयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो समिति के द्वारा अनुमोदन के पूर्व मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से शिकायत की जांच करायेंगे और समिति के समक्ष जांच के निष्कर्ष भी प्रस्तुत करेंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि वर्गवार जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष समस्त वर्गों हेतु निर्धारित प्रतिशत का प्रतिनिधित्व जनपद स्तर पर पूर्ण है और ऐसा कोई ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय नहीं है जहां से कोई भी अभ्यर्थी इस योजना के अंतर्गत चयनित न हो।

7.4 तदुपरांत मुख्य विकास अधिकारी लाभार्थियों की अनुमोदित सूची का एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर डाटा इन्ट्री कराकर सर्वर पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7.5 अंतिम रूप से चयनित लाभार्थियों को समाजवादी पेंशन योजना के सदस्य होने का कार्ड वितरित किया जायेगा।

7.6 लाभार्थियों के चयन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश/आवेदन पत्र का प्रारूप अलग से निर्गत किये जायेंगे।

<u>8. जनपद स्तरीय समिति</u>

8.1 जनपद स्तर पर समाजवादी पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न समिति गाठित की जायेगी:-

(क) जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
(ख) मुख्य विकास अधिकारी	- सदस्य सचिव
(ग) अपर जिलाधिकारी(प्रभारी नगर निकाय)	- सदस्य
(घ) नगर आयुक्त/मुख्यालय स्थित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी	- सदस्य
(ङ) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	- सदस्य तकनीकी
(च) मुख्य चिकित्साधिकारी	- सदस्य
(छ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	- सदस्य
(ज) कोषाधिकारी	- सदस्य
(झ) जिला समाज कल्याण अधिकारी	- सदस्य
(ञ) समस्त उप जिलाधिकारी	- सदस्य

8.2 योजना के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु **मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी** होगें। जिला समाज कल्याण अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में समस्त शासकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

8.3 जिलाधिकारी द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा एवं चयन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

9. अनुश्रवण व्यवस्था

9.1 समाजवादी पेंशन योजना के समस्त गरीब परिवार के सदस्यों का कम्प्यूटरीकृत प्रोफाईल तैयार किया जायेगा, जिसमें उनकी शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी अंकित होगी।

9.2 इसी जानकारी के आधार पर बेसिक शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा चयनित परिवारों को आवश्यक सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी और उनका विवरण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जायेगा। इस जानकारी का उपयोग वार्षिक सत्यापन के समय किया जायेगा और इससे वार्षिक सत्यापन सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने में सहायता मिलेगी।

9.3 इस प्रयोजनार्थ आवश्यक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/मोबाईल एप्लीकेशन का विकास समाज कल्याण विभाग द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से राज्य स्तर पर कराया जायेगा।

9.4 निर्धारित सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक लाभार्थी परिवार से संबंधित विवरण को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है या नहीं, इसका अनुश्रवण तथा अनुपालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी की होगी। इसका नियमित अनुश्रवण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

9.5 प्रत्येक मंडल के मंडलायुक्त भी योजना के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण करेंगे और मंडल स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना के संचालन की निगरानी करेंगे।

10. लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन

10.1 सभी लाभार्थियों का प्रतिवर्ष अप्रैल माह में अभियान के रूप में भौतिक सत्यापन कराया जायेगा और अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर योजना से हटाया जायेगा। सत्यापन के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अभिलेखों से इस तथ्य की भी पुष्टि की जायेगी कि लाभार्थियों द्वारा योजना हेतु निर्धारित आवश्यक शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

10.2 यदि यह पाया जाता है कि लाभार्थियों द्वारा शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें उक्त शर्तों के अनुपालन करने हेतु प्रेरित किया जायेगा और शर्तों का अनुपालन न करने से उन्हें प्रतिमाह होने वाले वित्तीय घाटे के बारे में बताया जायेगा।

10.3 भविष्य में यदि कोई लाभार्थी प्रस्तर-5.1.1 अथवा प्रस्तर-5.2.1 में उल्लिखित किन्हीं भी बिन्दुओं पर अनर्ह पाये जाते हैं, तो वह इस योजना में स्वतः अपात्र हो जायेंगे एवं उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जायेगा।

10.4 प्रतिवर्ष जितने अपात्र परिवार के लाभार्थी चिन्हित कर हटाये जाते हैं, उतनी ही संख्या में अथवा उपलब्ध जनपदीय लक्ष्य की सीमा तक पात्र परिवार के लाभार्थियों का नियमानुसार चयन किया जायेगा।

11. प्रशासनिक व्यय

11.1 समाजवादी पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभार्थी के परिवार के आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का निरंतर अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वार्षिक सत्यापन भी पारदर्शी तरीके से निर्धारित समयावधि के अंतर्गत करना आवश्यक है। योजना के प्रचार-प्रसार पर भी नियमित व्यय होना संभावित है।

11.2 समाजवादी पेंशन योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक व्यय मद में योजना के कुल बजट के 01 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

11.3 प्रशासनिक व्यय मद में मुख्यालय हेतु एवं जनपदवार धनराशि का आवंटन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. पेंशन अंतरण व्यवस्था

12.1 समाजवादी पेंशन योजना में प्रतिवर्ष देय धनराशि का भुगतान प्रत्येक त्रैमास में ई-पेमेंट के माध्यम से परिवार के मुखिया के सी0बी0एस0 खाते में किया जायेगा। भविष्य में पेंशन की धनराशि के माहवार अंतरण की व्यवस्था भी करायी जा सकती है।

13. बाल विकास, बेसिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों का दायित्व

13.1 प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत चयनित परिवार के 0 से 6 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध सुविधायें मुहैया करायें तथा 6 वर्ष की उम्र पूरा होने पर विद्यालय में नामांकन कराने में सहयोग करें।

13.2 योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाय।

13.3 योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके परिवार के 6 से 14 आयु वर्ग का बालक/बालिका परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् है।

13.4 उक्त ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये जा रहे समस्त परिवारों के बच्चों का परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नामांकन हुआ है। शहरी निकाय क्षेत्र में इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नगर शिक्षा अधिकारी करेंगे।

13.5 विद्यालय में छात्रों की नियमित उपस्थिति प्रमाणित करने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक की होगी।

13.6 साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण किया जाय और निरक्षर परिजनों को एक वर्ष के अंदर साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत साक्षर कराने की व्यवस्था की जाय।

13.7 प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में समाजवादी पेंशन योजना के चिन्हित परिवार के 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का वर्ष में कम-से-कम एक बार स्कूल में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने की व्यवस्था की जाय। इस प्रयोजनार्थ विद्यालय स्तर पर प्रारंभ की गयी **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना** का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाय।

13.8 समाजवादी पेंशन योजना के चिन्हित परिवार के 0 से 6 वर्ष के बच्चों के नियमित टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

13.9 समाजवादी पेंशन योजना के चिन्हित परिवार की गर्भवती महिला के संस्थागत प्रसव कराने की जिम्मेदारी आषा कार्यकत्री/ए0एन0एम0 को सौंपी जाय और इसका प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

14. अंतर्विभागीय समन्वय

14.1 समाजवादी पेंशन योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब बेसिक शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण के द्वारा विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू एवं सुनिश्चित तौर पर करने की व्यवस्था की जाय।

14.2 जिलाधिकारी जनपद स्तर पर इस योजना के सफल संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

14.3 शासन स्तर पर योजना की समीक्षा हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा:-

मुख्य सचिव-	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, वित्त-	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास	सदस्य
प्रमुख सचिव, नियोजन-	सदस्य
प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य-	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा-	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग-	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग-	सदस्य
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग-	सदस्य
प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-	सदस्य
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग-	सदस्य सचिव

14.4 शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन की प्रत्येक त्रैमास में नियमित समीक्षा की जायेगी। शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक कराने की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की होगी।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव

पृ0संख्या- 264(1) /26-2-2014-100(1)/2013 तददिनांक -

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग।
4- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग
5- प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग ।
6 - प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
7- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
8- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
9- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

'समाजवादी पेंशन योजना' के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित जनपदवार लक्ष्य										
क्र0 सं0	**जनपद**	ग्रामीण				शहरी				महायोग
		अल्प संख्यक	अनु0 जाति/ जनजाति	अन्य	योग	अल्प संख्यक	अनु0 जाति/ जनजाति	अन्य	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
01	अलीगढ़	7757	10878	16754	**35388**	7309	4421	6809	**18539**	**53928**
02	एटा	3880	6838	15232	**25950**	1885	1433	3193	**6512**	**32462**
03	हाथरस	1731	5083	6983	**13797**	990	1255	1724	**3968**	**17765**
04	कासगंज	2491	4390	9778	**16659**	1212	921	2051	**4183**	**20842**
001	**अलीगढ़ मण्डल**	**15859**	**27189**	**48747**	**91795**	**11396**	**8030**	**13776**	**33202**	**124997**
05	आगरा	3147	9023	15343	**27513**	5572	6891	11718	**24181**	**51694**
06	फिरोजाबाद	4426	7738	15029	**27193**	4466	3368	6541	**14375**	**41568**
07	मथुरा	2198	6272	12377	**20846**	2011	2475	4884	**9370**	**30216**
08	मैनपुरी	1823	7834	16318	**25975**	723	1339	2789	**4852**	**30827**

002	**आगरा मण्डल**	**11594**	**30866**	**59067**	**101528**	**12772**	**14073**	**25933**	**52777**	**154305**
09	आजमगढ़	20600	41372	50889	**112861**	3898	3377	4153	**11428**	**124290**
10	बलिया	6162	18154	45389	**69705**	1547	1967	4918	**8432**	**78138**
11	मऊ	8131	11431	15638	**35199**	4548	2758	3773	**11079**	**46278**
003	**आजमगढ़ मण्डल**	**34893**	**70957**	**111917**	**217766**	**9993**	**8103**	**12844**	**30940**	**248706**
12	इलाहाबाद	11492	23017	37313	**71822**	8620	7449	12074	**28143**	**99965**
13	कौशाम्बी	7501	23570	17602	**48673**	1327	1801	1345	**4473**	**53146**
14	फतेहपुर	8990	19914	26212	**55115**	2393	2286	3009	**7689**	**62804**
15	प्रतापगढ़	14185	26802	41893	**82880**	1837	1498	2341	**5676**	**88556**
004	**इलाहाबाद मण्डल**	**42167**	**93303**	**123020**	**258490**	**14178**	**13033**	**18769**	**45981**	**304471**
16	इटावा	1904	7317	11611	**20833**	1319	2187	3470	**6976**	**27809**
17	औरैया	1783	8188	10316	**20288**	691	1368	1724	**3783**	**24071**
18	कन्नौज	4394	6037	11531	**21962**	2042	1211	2312	**5564**	**27525**
19	कानपुर नगर	3113	3850	8467	**15431**	14732	7860	17284	**39876**	**55306**
20	फर्रूखाबाद	5755	7534	16796	**30084**	3709	2094	4668	**10470**	**40554**

21	कानपुर देहात	3543	11127	15762	**30432**	607	824	1167	**2598**	**33030**
005	**कानपुर मण्डल**	**20491**	**44054**	**74484**	**139029**	**23100**	**15543**	**30625**	**69268**	**208296**
22	कुशीनगर	19714	24932	47846	**92492**	2195	1197	2297	**5689**	**98181**
23	गोरखपुर	7842	22237	37086	**67165**	4431	5419	9037	**18887**	**86052**
24	देवरिया	12293	23120	47858	**83271**	3127	2538	5254	**10919**	**94189**
25	महाराजगंज	13888	19474	33932	**67294**	1725	1044	1819	**4588**	**71882**
006	**गोरखपुर मण्डल**	**53736**	**89763**	**166721**	**310221**	**11478**	**10199**	**18407**	**40084**	**350305**
26	चित्रकूट	1366	11942	17012	**30321**	351	1325	1888	**3564**	**33884**
27	बांदा	3815	11382	20748	**35945**	1669	2147	3914	**7731**	**43675**
28	महोबा	2072	9401	13178	**24651**	1345	2630	3688	**7663**	**32314**
29	हमीरपुर	2152	7254	11785	**21191**	998	1450	2356	**4803**	**25994**
007	**चित्रकूटधाम मण्डल**	**9405**	**39979**	**62723**	**112107**	**4363**	**7552**	**11846**	**23760**	**135868**
30	झांसी	2222	9879	12111	**24212**	3548	6805	8343	**18696**	**42907**
31	जालौन	3055	9658	12018	**24731**	2164	2952	3674	**8791**	**33521**
32	ललितपुर	1216	12104	18738	**32058**	479	2056	3182	**5717**	**37776**

008	**झांसी मण्डल**	**6493**	**31641**	**42867**	**81001**	**6191**	**11814**	**15199**	**33204**	**114204**
33	गोण्डा	18077	17307	38432	**73816**	3166	1308	2904	**7378**	**81195**
34	बलरामपुर	20479	9593	17079	**47152**	4161	841	1497	**6499**	**53651**
35	बहराइच	26857	13376	24461	**64694**	6915	1485	2716	**11117**	**75811**
36	श्रावस्ती	15245	13160	20840	**49245**	1032	383	608	**2023**	**51268**
009	**देवीपाटन मण्डल**	**80658**	**53437**	**100813**	**234907**	**15275**	**4017**	**7725**	**27017**	**261924**
37	अम्बेडकर नगर	10669	18709	24233	**53611**	2428	1836	2378	**6641**	**60252**
38	अमेठी	5209	11064	13784	**30056**	855	877	1027	**2760**	**32816**
39	फैजाबाद	7453	13587	20220	**41260**	2688	2114	3147	**7948**	**49208**
40	बाराबंकी	13706	19674	19982	**53361**	3259	2018	2049	**7327**	**60688**
41	सुल्तानपुर	12901	20693	30550	**64144**	1488	1030	1519	**4036**	**68180**
010	**फैजाबाद मण्डल**	**49938**	**83727**	**108768**	**242432**	**10717**	**7875**	**10120**	**28712**	**271144**
42	पीलीभीत	7370	5594	11893	**24858**	3721	1219	2590	**7529**	**32387**
43	बदायूँ	9164	8635	16643	**34441**	4710	1914	3690	**10315**	**44756**
44	बरेली	17683	7767	17549	**42999**	20124	3812	8614	**32551**	**75550**

45	शाहजहाँपुर	9825	11464	22299	**43588**	5918	2979	5795	**14692**	**58279**
011	**बरेली मण्डल**	**44042**	**33461**	**68384**	**145886**	**34473**	**9924**	**20689**	**65086**	**210972**
46	बस्ती	10942	18271	30168	**59381**	1495	1076	1777	**4348**	**63729**
47	सिद्धार्थनगर	24644	16290	28472	**69406**	2266	646	1129	**4040**	**73446**
48	संतकबीरनगर	13061	13558	18740	**45359**	2308	1033	1427	**4769**	**50128**
012	**बस्ती मण्डल**	**48647**	**48120**	**77380**	**174146**	**6069**	**2755**	**4333**	**13157**	**187303**
49	अमरोहा	7157	3690	4958	**15805**	5401	1201	1614	**8217**	**24021**
50	बिजनौर	21108	12505	11867	**45481**	15718	4017	3812	**23547**	**69028**
51	सम्भल	7966	4410	7011	**19386**	7030	1497	2230	**10757**	**30143**
52	मुरादाबाद	16786	6876	8954	**32617**	17108	3022	3936	**24066**	**56682**
53	रामपुर	16319	5231	7830	**29381**	12594	1742	2607	**16943**	**46323**
013	**मुरादाबाद मण्डल**	**69336**	**32712**	**40621**	**142669**	**57851**	**11479**	**14199**	**83529**	**226198**
54	गाजियाबाद	2992	2669	4603	**10265**	8548	3289	5672	**17508**	**27773**
55	गौतमबुद्धनगर	511	755	1747	**3014**	708	451	1043	**2202**	**5216**
56	हापुड़	1995	1780	3068	**6843**	5699	2193	3781	**11673**	**18516**

57	बागपत	3176	1658	5194	**10029**	1808	407	1275	**3490**	**13519**
58	बुलन्दशहर	11079	12500	19433	**43012**	7738	3765	5855	**17358**	**60370**
59	मेरठ	7403	4932	7012	**19347**	16125	4634	6588	**27347**	**46694**
014	**मेरठ मण्डल**	**27156**	**24294**	**41058**	**92509**	**40625**	**14740**	**24213**	**79578**	**172087**
60	उन्नाव	6458	21190	21572	**49221**	2691	3810	3879	**10381**	**59601**
61	खीरी	15273	25158	27239	**67670**	4275	3037	3288	**10600**	**78270**
62	रायबरेली	8133	24135	25181	**57448**	1987	2546	2656	**7189**	**64638**
63	लखनऊ	3537	4329	6302	**14167**	14342	7572	11023	**32937**	**47105**
64	सीतापुर	17080	33291	27322	**77694**	5376	4520	3710	**13605**	**91299**
65	हरदोई	12895	36287	34374	**83556**	4072	4942	4682	**13695**	**97250**
015	**लखनऊ मण्डल**	**63376**	**144390**	**141989**	**349756**	**32744**	**26427**	**29237**	**88407**	**438163**
66	गाजीपुर	10037	25533	43900	**79470**	1937	2125	3653	**7716**	**87186**
67	चन्दौली	4698	13112	18897	**36707**	1286	1549	2232	**5066**	**41773**
68	जौनपुर	14854	37550	62155	**114559**	2752	3000	4966	**10718**	**125278**
69	वाराणसी	7407	7638	20657	**35702**	11526	5126	13865	**30517**	**66219**

016	**वाराणसी मण्डल**	**36996**	**83833**	**145609**	**266438**	**17501**	**11799**	**24717**	**54017**	**320455**
70	मिर्जापुर	5172	21810	28602	**55584**	1878	3415	4479	**9773**	**65356**
71	संत रविदास नगर	4065	8646	14195	**26906**	1385	1271	2086	**4742**	**31648**
72	सोनभद्र	2877	26259	17635	**46772**	1546	6088	4089	**11722**	**58494**
017	**विन्ध्याचल मण्डल**	**12115**	**56715**	**60432**	**129261**	**4808**	**10774**	**10655**	**26237**	**155499**
73	सहारनपुर	15247	9966	9605	**34818**	12295	3466	3340	**19102**	**53920**
74	मुजफ्फर नगर	10711	4466	8568	**23745**	8503	1528	2933	**12964**	**36709**
75	शामली	7140	2977	5712	**15830**	5668	1019	1955	**8643**	**24473**
018	**सहारनपुर मण्डल**	**33098**	**17409**	**23885**	**74393**	**26466**	**6014**	**8229**	**40709**	**115102**
	महायोग	**660000**	**1005851**	**1498484**	**3164335**	**340000**	**194149**	**301516**	**835665**	**4000000**